(163)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 354–दो/2000 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 541/1981–82 अपील

रामसजीवन पुत्र रामकुमार
निवासी चुरहट तहसील गोपदबनास
जिला सीधी , मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

जहूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद (मृत वारिस)
1– अब्दुलरव पुत्र मो.जहूर
2– अब्दुल मुमजात पुत्र मो.जहूर
3– अब्दुल गफ्फार पुत्र मो.जहूर
तीनों चुरहट तहसील चुरहट
4– छोटईया वेगम पत्नि मो.जहूर
पत्नि अब्दुल इवन
निवासीतहसील रामपुर नेकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 26 –07–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 541/1981–82 में पारित आदेश दिनांक 31–1–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 44 अ–19/1972–73 में पारित आदेश दिनांक 10–5–73 से मौजा चुरहट स्थित आराजी कमांक 648 रकबा 0.008 मध्य प्रदेश ग्रामों की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम 1970 के अंतर्गत पटटा प्रदान किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 114/97–98 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–9–82 से पटटा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 541/1982–83 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–1–2002 से अपील निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 44 अ–19/1972–73 उपलब्ध नहीं है एंव अभिलेख में आदेश दिनांक 17–5–73 वावत् की गई प्रविष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने संदिग्ध होने से निरस्त की है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 541/1981–82 में पारित आदेश दिनांक 31–1–2002 में विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि जहूर मोहम्मद तहसीलदार के समक्ष प्रत्यक्ष हितबद्व पक्षकार था , परन्तु तहसीलदार ने उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जैसे ही इसे तहसीलदार के एकपक्षीय आदेश की जानकारी हुई, उसके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत करते हुये अपील प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा किया है। यदि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के विलम्ब क्षमा करने हेतु पारित अंतरिम आदेश से दुखी था उस तत्समय अंतरिम आदेश की निगरानी करना थी। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रकरण के शोध न होने पर राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी अभिलेख

के आधार पर छानवीन करके आदेश पारित किया है जिसे अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 31–1–2002 पारित करते समय हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 31–1–2002 अवलोकन पर उसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 541/1981–82 में पारित आदेश दिनांक 31–1–2002 उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर